FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

सूरज बाई बनाम भूमिधारी वगै0

किस्म मुकदमा दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0 400 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/839

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29-07-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादीगण श्री भंवर प्रताप सिंह तंवर उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.08.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 22/8/25 को पेश हों। 22/8 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 10/10/25 को पेश हों।	
25/08/2025	वकील वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्या[illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्र[illegible] में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकी[illegible] वादीगण ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता का गलत नाम	जितेन्द्र सिंह Identified by Bpsbanwar Adv

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

''थानसिंह पुत्र दुर्जनसिंह'' दर्ज हैं जबकि वादीगण के पिता का नाम ''थानसिंह पुत्र दुर्जनसिंह'' की जगह ''थानसिंह पुत्र बचनसिंह'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रशासक ग्राम पंचायत गांवड़ी तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट बैंक का पक्ष सुना जाकर गत जमाबन्दी संवत 2055–58 के इन्द्राज अनुसार वादीगण के पिता/पति का नाम थानसिंह पुत्र दुर्जनसिंह के स्थान पर थानसिंह पुत्र बचन सिंह शुद्व किया जाना उचित हैं। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

तन ग्राम जगतसिंह नगर पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 182, 184, 185, 84 ता 86, 90 ता 93, 148, 119, 122 ता 125, 128 ता 131, 135 ता 138, 140, 142, 143, 171, 174, 622/170, 623/170, 624/170, 625/156, 626/156, 629/168, 630/168, 631/169, 632/169 में वादीगण के पिता/पति का गलत दर्ज नाम ''थानसिंह पुत्र दुर्जन सिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''थानसिंह पुत्र बचन सिंह'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्रीमती सुरज बाई पत्नी स्व0 थान सिंह वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नं. 400 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री भँवर प्रताप सिंह तँवर एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम जगतसिंह नगर पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी** ख. नं. 182, 184, 185, 84 ता 86, 90 ता 93, 148, 119, 122 ता 125, 128 ता 131, 135 ता 138, 140, 142, 143, 171, 174, 622/170, 623/170, 624/170, 625/156, 626/156, 629/168, 630/168, 631/169, 632/169 **में वादीगण के पिता/पति का गलत दर्ज नाम ''थानसिंह पुत्र दुर्जन सिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''थानसिंह पुत्र बचन सिंह''** दुरूस्त किया जाता हैं। **उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:18:12 IST
Reason: SelfAttested